



पत्रांक : प0सा0 / वा0परीक्षा 2017-18 / 443 / 85/11/2018

दिनांक : 15 मार्च, 2018

कार्यालय-आदेश

महामहिम राज्यपाल, उ0प0 के आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-171/सत्तर-1-2018-11 (21)/2005 दिनांक-08 मार्च, 2018 तथा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी आदेश संख्या-175/सत्तर-1-2018-11 (21)/2005 दिनांक 8 मार्च, 2018 के आधार पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रत्येक सेवाओं में दिनांक 30 जून, 2018 तक हड़ताल निषिद्ध की जाती हैं।

कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. कुलानुशासक।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
5. उपकुलसचिव।
6. समस्त प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष सम्बद्ध महाविद्यालय।
7. समस्त सहायक कुलसचिव / अधीक्षक / कार्यालय प्रभारी।
8. समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्र।
9. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक